

31/7/17

अभि. अपीलान्त/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 23/8/17 को पेश हो।

23/8/17

अभि. अपीलान्त/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 08/11/17 को पेश हो।

8/11/17

अभि. अपीलान्त/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 24/1/18 को पेश हो।
रेस्पों-स. 1 व 2 की कोर्ट से
आदेश-श्री रमेश शर्मा ने
पनामता पेश किया।

24/01/18

अभि. अपीलान्त/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 20/03/18 को पेश हो।

20/03/18

अभि. अपीलान्त/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 11/05/18 को पेश हो।

21/3/18

आधिपत्या रेस्पोंडे-2 कोर्ट प्रकटुत जर्जना पत्र
क्रीप्ट सुनवाई पर प्याबली कानून से
तलब होकर आप पेश हुई। अपीलान्त एवं
रेस्पोंडे-2 स. 1 व 2 जो आधिकार्य न्यायालय के
समक्ष प्रार्थी हैं, ने आप आधिपत्या उपस्थित
होकर जर्जना पत्र प्रकटुत कर अपील को
स्वीकार किये जाने का निवेदन करते
हुये कथन किया कि लोक अदालत की
भावना से आपसी समझौता से कानून
हो गया है, जिससे रेस्पोंडे-2 एवं अपीलान्त
की अपील को स्वीकार किये जाने में अपनी
सहमति प्रदान करते हैं।

B
करीब
21-3-18

R
21/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

560
2017

बोगाशा/मूल्य

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

इस अपील को दोनो पक्षो की सहमति के
आधार पर न्यायादाल में स्वीकार करवा
जावे।

श्री वेण्कटेश्वर स. 1 व 2 द्वारा
जो अधिलक्ष्य न्यायालय के समक्ष याची
रहे हैं, के द्वारा अपीलार्थी की अपील
स्वीकार किये जाने एवं अपीलार्थी को
को अपारत करने में अपनी सहमति
एवं स्वीकारोम्बी प्रदान की गरी है एवं
निवेदन किया है कि दोनो पक्षो में सब
सहमति हो गरी है। इतल न्यायादाल में
दोनो पक्षो की सहमति के आधार पर
अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर
अपीलार्थीन निर्णय दिनांक 30/5/2017
निरस्त किया जाता है। तदनुसार
पञ्चातमी कैसल शुमार होकर बाद
तकमील कार्रवाई दफ्तर हो। कोदेश
सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

